



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8004

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 240 सन् 2026

श्री विमल कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रजिया सुल्तान, यशपाल यादव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री यशपाल यादव और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि याचिकाकर्ता जो उप निरीक्षक के पद पर तैनात है, को जनपद ललितपुर से जनपद कानपुर या औरैया स्थानांतरित किए जाने पर विचार किया जाए।
3. इस याचिका में प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया तीसरे प्रत्यर्थी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (स्थापना), पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को यह छूट दी जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रत्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत करे। तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, वह दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय कानून के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर करेगा। यदि तीसरे प्रत्यर्थी का मत है कि प्रकरण का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यर्थीगण से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही रिट याचिका का निर्णय कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

13 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)